रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062023-246449 CG-DL-E-10062023-246449

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] No. 141] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2023/ज्येष्ठ 19, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2023/JYAISHTHA 19, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2023

विषय : भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत अधिसूचित योजनाओं में संशोधन के लिए अधिसूचना

फा. सं. डब्ल्यू-38/27/2021- आईपीएचडब्ल्यू .—िनम्न तालिका संशोधित संदर्भों को सूचीबद्ध करती है:

| संदर्भ राजपत्र अधिसूचना | | संशोधन |
|--|----------------|---|
| संदर्भ राजपत्र अधिसूचना: सीजी-डीएल- | पैराग्राफ 11 | हटा दिया गया है। |
| ई-04102022-239339 दिनांक: | | |
| 04.10.2022 | पैराग्राफ 13.4 | केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवेदकों का अनुमोदन: |
| (भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना | | आवेदनों का आंकलन और मूल्यांकन निरंतर |
| के लिए संशोधित योजना) | | आधार पर व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। |
| | | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | | केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आवेदनोँ को |
| | | प्रस्तुत करेगा। |
| संदर्भ राजपत्र अधिसूचना: सीजी-डीएल- | पैराग्राफ 11 | हटा दिया गया है। |
| ई-06102022-239340 दिनांक: | पैराग्राफ 13.4 | केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवेदकों का अनुमोदन: |

3677 GI/2023 (1)

| | 1 | |
|---|----------------|---|
| 04.10.2022 | | आवेदनों का आंकलन और मूल्यांकन निरंतर |
| (भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के | | आधार पर व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। |
| लिए संशोधित योजना) | | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | | केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आवेदनाँ को |
| | | प्रस्तुत करेगा। |
| संदर्भ राजपत्र अधिसूचना: सीजी-डीएल- | पैराग्राफ 10.2 | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| ई-06102022-239341 दिनांक: | | केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आवेदनोँ को |
| 04.10.2022 | | प्रस्तुत करेगा । |
| (भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स / | पैराग्राफ 10.3 | हटा दिया गया है। |
| सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर | | |
| फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एवं | | |
| सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग | | |
| एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स्ड | | |
| सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट | | |
| (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के | | |
| लिए संशोधित योजना)। | | |

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2023

Subject: Notification for amendment in the schemes notified under the Modified Programme for Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India

F. No. W-38/27/2021-IPHW.—The following table lists out the references that are amended:

| Reference Gazette Notification | | Amendments |
|--|----------------|---|
| Reference Gazette Notification: CG-DL-E-04102022-239339 dated 04.10.2022 (Modified Scheme for setting up of Semiconductor Fabs in India) | Paragraph 11 | Stands deleted. |
| | Paragraph 13.4 | Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: Applications shall be appraised and evaluated individually on an ongoing basis. The Ministry of Electronics and Information Technology will place the applications for approval of the Union Cabinet. |
| Reference Gazette Notification: CG-DL-E-06102022-239340 dated 04.10.2022 (Modified Scheme for setting up of Display Fabs in India) | Paragraph 11 | Stands deleted. |
| | Paragraph 13.4 | Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: Applications shall be appraised and evaluated individually on an ongoing basis. The Ministry of Electronics and Information Technology will place the applications for approval of the Union Cabinet. |
| Reference Gazette Notification: CG-DL- E-06102022-239341 dated 04.10.2022 (Modified scheme for setting up of | Paragraph 10.2 | The Ministry of Electronics and Information Technology will place the applications for approval of the Union Cabinet. |
| Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India). | Paragraph 10.3 | Stands deleted. |

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.